

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3
संख्या-2281/8-3-14-194 विविध/14
लखनऊ : दिनांक : 11 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 38-क की उपधारा (1) के साथ पठित धारा-55 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्-

उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ
और विस्तार

- 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 कही जाएगी।
- (2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रकाशित होगी।
- (3) यह समस्त विकास क्षेत्रों पर लागू होगी।

परिभाषाएं

- 2-(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,-
 - (क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973 से है;
 - (ख) "आवेदक" का तात्पर्य अधिनियम की धारा-13 के अधीन भू-उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति से है;
 - (ग) "सर्जिल रेट" का तात्पर्य भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन सम्बन्धित क्षेत्र में भूमि के सव्यवहार पर स्टाम्प शुल्क के निर्धारण हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिसूचित रेट से है;
 - (घ) "टेलिकॉपीक आधार" का तात्पर्य नियम 4 के अधीन दिये गये दृष्टांत के अनुसार की गयी गणना से है।
- (2) इस नियमावली में अगरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हैं।

भू-उपयोग

परिवर्तन

- 3- यदि किसी विकास क्षेत्र में, किसी भूमि विशेष क

di

शुल्क का उद्ग्रहण
(धारा-38क
उप-धारा-1)

भू-उपयोग परिवर्तन अधिनियम की धारा-13 के अधीन महायोजना अथवा परिक्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन के फलस्वरूप किया जाता है, तो प्राधिकरण संबंधित भू-स्वामी से भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क, विहित प्रक्रिया के अनुसार और नियम-4 में उल्लिखित रेट पर उद्गृहीत करने का हकदार होगा।

परन्तु यह कि भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क निम्न परिस्थितियों में उद्गृहीत नहीं किया जायेगा:-

- (एक) जहां किसी भूमि विशेष का भू-उपयोग परिवर्तन महायोजना अथवा परिक्षेत्रीय विकास योजना के प्रभूत होने के फलस्वरूप हुआ हो,
- (दो) जहां भूमि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय निकाय की हो।
- (तीन) जहां पर पूर्ण या आंशिक रूप से भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के भुगतान को अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा छूट प्रदान की जाती है, तो भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क उद्गृहीत नहीं होगा।

भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण एवं उसकी दर (धारा-38क की उपधारा-1)

4-(1) भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण एवं संग्रहण भूखण्ड के सम्पूर्ण क्षेत्रफल जो उस भूमि विशेष के सकल रेट से गुणा करके तथा इसका साथ सतलन अनुसूची-"क" में नीचे उल्लिखित गुणांक के आधार पर किया जायेगा:-

भूमि खण्ड का क्षेत्रफल (हेक्टेअर)	गुणांक
0.25 तक	1.0
0.25 से अधिक और 1.0 तक	0.9
1.0 से अधिक और 5.0 तक	0.8
5.0 से अधिक और 10.0 तक	0.7
10.0 से अधिक	0.6

नोट :

(एक) भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना टैलरकोपिक आधार पर की जायेगी अर्थात् 15.0 हेक्टेअर के भूखण्ड के लिए भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना निम्नवत् की जायेगी:-

$$((0.25 \times 1) + (1 - 0.25) \times 0.9 + (5 - 1) \times 0.8 + (10 - 5) \times 0.7 + (15 - 10) \times 0.6) \times सकल रेट \times लागू प्रतिशत, जैसा$$

Handwritten mark/signature

अनुसूची 'क' में दिया गया है।

(दो) भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर सर्किल रेट में कोई छूट अनुमत्य नहीं होगी।

- (2) प्राधिकरण द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना प्राधिकरण बोर्ड के अन्तिम विनिश्चय के दिनांक को लागू विद्यमान भू-उपयोग हेतु प्रदत्त सर्किल रेट को ध्यान में रखते हुए की जायेगी।

स्पष्टीकरण :

यदि किसी क्षेत्र विशेष में एक से अधिक सर्किल रेट लागू हैं, तब भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना विद्यमान भू-उपयोग के आधार पर किया जायेगा। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी क्षेत्र में कृषि एवं आवासीय भूमि का अलग-अलग सर्किल रेट है और विद्यमान भू-उपयोग कृषि है, तब कृषि भूमि का सर्किल रेट लागू होगा। समान रूप से यदि विद्यमान भू-उपयोग आवासीय है तो आवासीय सर्किल रेट लागू होगा। यदि यहां पर केवल एक सर्किल रेट है, तो वही रेट लागू होगा।

- (3) यदि निम्नलिखित भू-उपयोग हेतु सर्किल रेट उपलब्ध नहीं है, तो उसकी गणना नीचे दिये गये सूत्र के माध्यम से किया जायेगा:-

भू-उपयोग	सूत्र
(क) शार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधायें	$0.75xA + 0.25xR$
(ख) यातायात एवं परिवहन	$0.50xA + 0.50xR$
(ग) औद्योगिक	$0.25xA + 0.75xR$
(घ) कार्यालय	$0.50xR + 0.50xC$
(ङ) मिश्रित उपयोग	$0.25xR + 0.75xC$

जहां :

- A - कृषि भूमि का सर्किल रेट है
R - आवासीय भूमि का सर्किल रेट है
C - व्यावसायिक भूमि का सर्किल रेट है

भू-उपयोग परिवर्तन की 6-(1) प्रक्रिया (धारा-13)

आवेदक प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के समक्ष इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा:-

- (क) भूमि का विवरण (जैसा भी हो)
- (एक) अविकसित क्षेत्र की स्थिति में राजस्व द्वारा तहसील, जिले का नाम, गाटा संख्या, गाटावार क्षेत्रफल और 1:4000 स्केल पर सजाया गया; निर्मित/विकसित क्षेत्र की विधाते में, फ्लॉट संख्या, क्षेत्रफल, हेक्टेयर में और स्थानीय क्षेत्र का नाम रूप 1:1000 स्केल पर स्थल नक्शा।
- (ख) स्थागित/विकसित विलेख की प्रमाणित प्रति।
- (ग) यथास्थिति प्रवृत्त महाभोजना/परिक्षेत्रीय विकास क्षेत्र में भू-उपयोग।
- (घ) परिवर्तन के लिए प्रस्तावित भू-उपयोग।
- (ङ) आवेदन शुल्क ₹ 1,000/- प्रति हेक्टेयर या उसके भाग के लिए, न्यूनतम ₹ 1000/- के अधीन रहते हुए।

(2) आवेदन पत्र की संवीका के पश्चात् यदि प्राधिकरण की राय में संशोधन अधिनियम की धारा-13 की उपधारा-(1) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का है तो निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा-

- (क) प्राधिकरण आवेदन पत्र को अपने बोर्ड की बैठक में पुर्विलिखित निर्णय के लिए प्रस्तुत करेगा।
- (ख) आवेदन पत्र के अनुमोदन की दशा में, प्राधिकरण अधिनियम की धारा-13 की उपधारा (3) के अनुसार सम्बन्धित विकास क्षेत्र में प्रचलित दो सप्ताह पत्रों में आपत्तियों और सुझाव आमंत्रित करेगा और सूचना प्रकाशित करेगा। आपत्तियों और सुझाव प्रस्तुत करने की न्यूनतम अवधि सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिनों की होगी।
- (ग) प्राप्त आपत्तियों और सुझावों, यदि कोई हो, उनका अन्तिम प्राप्ति के दिनांक से 30 दिनों के भीतर सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा विचार किया जायेगा। समिति की अन्तिम रूप से प्रस्तुत की अन्तिम निर्णय हेतु प्राधिकरण के बोर्ड अगली बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।
- (घ) उप नियम-ग के अधीन अनुमोदन की दशा

प्राधिकरण मू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना करेगा और उसका भुगतान करने के लिए आवेदक को पंद्रह दिनों के भीतर मांग नोटिस जारी करेगा।

(3) अधिनियम की धारा 13 की उपधारा-(1) के अधीन विनिर्दिष्ट संशोधन से निम्न संशोधनों के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा:-

- (क) प्राधिकरण आवेदन पत्र को युक्तियुक्त निर्णय के लिए अपने बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत करेगा।
- (ख) अनुमोदन की दशा में, प्राधिकरण प्रस्ताव को अपनी संस्तुति के साथ बोर्ड के निर्णय के दिनांक से 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार को अग्रहित करेगा।
- (ग) राज्य सरकार की सहमति के पश्चात् प्राधिकरण अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (3) के अनुसार सम्बन्धित विकास क्षेत्र में प्रदर्शित हो समाचार पत्रों में आपत्तियाँ और सुझाव आर्पित करते हुए सूचना प्रकाशित करेगा। आपत्तियाँ और सुझाव प्रस्तुत करने की न्यूनतम अवधि सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिनों की होगी।
- (घ) आपत्तियों और सुझावों यदि कोई हो, पर उनकी अन्तिम प्राप्ति के दिनांक से 30 दिनों के भीतर राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा विचार किया जायेगा। समिति की आस्था और संस्तुति को अन्तिम निर्णय हेतु प्राधिकरण के बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जागा।
- (ङ) प्राधिकरण अपनी संस्तुति को बोर्ड के निर्णय के दिनांक से 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार को अग्रहित करेगा।
- (च) राज्य सरकार अपने निर्णय के संबंध में प्राधिकरण को सूचित करेगा और तदनुसार प्राधिकरण आवेदक को सूचित करेगा।
- (छ) उप धारा (ग) के पश्चात् अनुमोदन की दशा में प्राधिकरण मू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की धनराशि की गणना करेगा और उसका भुगतान

Handwritten signature

करने के लिए आवेदक को पन्द्रह दिनों के भीतर मांग नोटिस जारी करेगा।

भू-उपयोग शुल्क का (धारा-39क उपधारा(1))

परिवर्तन भुगतान की

6-(1) आवेदक मांग नोटिस जारी होने की दिनांक से तीन मास के भीतर भू-उपयोग परिवर्तन की सम्पूर्ण रकम देने का दायी होगा:

परन्तु यह कि प्राधिकरण का उपाध्यक्ष भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के भुगतान की अनुज्ञा पत्र त्रैमासिक किशतों में 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज के साथ दे सकता है, जो इस शर्त के अधीन होगी कि आवेदक को एक वर्ष के भीतर पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी।

परन्तु यह और कि प्राधिकरण आवेदक द्वारा आवेदन किए जाने पर ऐसे भुगतान के लिए एक और वर्ष दे सकता है।

(2) यदि आवेदक यथारिथति नियत अवधि या बढ़ायी गयी अवधि के भीतर भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो दी गयी अनुज्ञा व्यपगत समझी जायेगी।

भू-उपयोग परिवर्तन का प्रकाशन (धारा-13 की उपधारा-4)

7- (1) अधिनियम की धारा-13 की उपधारा-(1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रकृति के संशोधन के लिए प्राधिकरण आवेदक द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि जमा किये जाने के पश्चात्, अधिनियम की धारा-13 की उपधारा-(4) के अनुसार उक्त संशोधन को सम्बन्धित विकास क्षेत्र में प्रचलित दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा और आवेदक को भी सूचित करेगा। प्राधिकरण, राज्य सरकार को ऐसे संशोधन के प्रवृत्त होने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर उक्त संशोधन के पूर्ण विवरण की आस्था राज्य सरकार को देगा।

(2) अधिनियम की धारा-13 की उपधारा-(3) के अधीन विनिर्दिष्ट संशोधन से भिन्न संशोधनों के लिए प्राधिकरण, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि आवेदक द्वारा जमा किए जाने के पश्चात् उसकी सूचना राज्य सरकार को प्रदान करेगा। ऐसी सूचना की प्राप्ति पर राज्य



सरकार अधिनियम की धारा-13 की
उपधारा-(4) के अधीन अंतिम अधिसूचना जारी
करेगी।

अवस्थापना विकास निधि
(धारा-38क की
उपधारा-(1))

8- भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के रूप में एकत्र की गयी
सम्पूर्ण धनराशि एक भूदाक बैंक खाते में जमा की
जायेगी, जिसे "अवस्थापना विकास निधि" के रूप में
जाना जायेगा।

भू-उपयोग परिवर्तन
शुल्क का वार्षिक
विवरण (धारा-38क की
उपधारा-(1))

9- प्राधिकरण का उपाध्यक्ष पूर्ववर्ती वर्ष हेतु भू-उपयोग
परिवर्तन शुल्क के संबंध में एक विवरण प्राधिकरण बोर्ड
को उपलब्ध करायेगा, जिसमें प्राधिकरण द्वारा
भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के रूप में एकत्र की गयी
कुल धनराशि की सूचना एवं उसके उपयोग से संबंधित
व्योरे होंगे। यथासंभव, यह विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष
में प्राधिकरण बोर्ड की होने वाली प्रथम बैठक में प्रस्तुत
किया जायेगा और इसकी प्रति राज्य सरकार को भी
भेजी जायेगी।

2- प्रदेश में शहरी नियोजन के कार्य हेतु 27 विकास प्राधिकरणों के अतिरिक्त 05 विशेष
क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद (जो वर्तमान में 54 नगरों में कार्यरत
है) तथा 74 विनियमित क्षेत्र भी घोषित/गठित हैं, अतः प्रसंगगत नियमावली (अंग्रेजी सरकारण
सहित) को उक्त अभिकरणों द्वारा अपने-अपने अधिनियमों के अधीन विहित प्रक्रियानुसार
अंगीकृत किया जायेगा।

3- भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के संबंध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा निर्गत
निम्न शासनादेश अद्विक्रमित समझे जायेंगे:-

- (i) शासनादेश सं0-3712/9-8 3-2000-26 एल.यू.सी./91, दिनांक 21.8.2001
- (ii) शासनादेश सं0-473/9-अ 3-20 एल.यू.सी./91, दिनांक 04.02.2002
- (iii) शासनादेश सं0-3351/9-अ-3-2004-12 दि./2004, दिनांक 23.08.2004
- (iv) शासनादेश सं0-4988/8-3-2008-05 महा/2005, दिनांक 18.10.2008
- (v) शासनादेश सं0-704/8-3-09-20 एल.यू.सी./91, दिनांक 21.01.2010
- (vi) शासनादेश सं0-1735/8-1-2010-38 विविध/10, दिनांक 23.04.2010

संलग्नक - नियम-4 में उल्लिखित अनुसूची 'क'।

नियम-5(1) में उल्लिखित आवेदन पत्र।

सदा कान्त
प्रमुख सचिव

संख्या : (1) / 8-3-14-194 विविध / 14 तददिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में दिनांक दिसम्बर 2014 के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराये तथा गजट की मुद्रित 01-01 प्रतियां सम्बंधित अधिकारियों एवं शासन को 10 प्रतियां उपलब्ध करायी जाये।

आज्ञा से,

शिव जगम चौधरी
संयुक्त सचिव

संख्या : 220 (2) / 8-3-14-194 विविध / 14 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. महा निरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डल आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
9. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
10. नियत प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, आवास सन्धु, उ०प्र०, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने तथा प्रचार-प्रसार हेतु।
12. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव जगम चौधरी)
संयुक्त सचिव

अनुसूची 'क'
(नियम-4 देखें)

क्र. सं.	विद्यमान मू-उपयोग	मू-उपयोग परिवर्तन शुल्क, सर्विस रेट के प्रतिशत के रूप में प्रस्तावित मू-उपयोग					
		सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविचार, सेवाएं तथा उपयोगिताएं जिसके अन्तर्गत यातायात एवं परिवहन भी हैं।	औद्योगिक	आवासीय	कार्यालय	मिश्रित	व्यावसायिक
1	कृषि फार्म, खुले स्थान एवं ग्रीन बेल्ट	20%	35%	50%	100%	125%	150%
2	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविचार, सेवाएं तथा उपयोगिताएं जिसके अन्तर्गत यातायात एवं परिवहन	कुछ नहीं	20%	40%	75%	100%	125%
3	औद्योगिक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	25%	75%	90%	110%
4	आवासीय	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	50%	75%	100%
5	कार्यालय	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	30%	50%
6	मिश्रित	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	25%
7	व्यावसायिक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

Handwritten signature

भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन
नियम-5(1)

शेरा में:

उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,

विषय: भू-उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन।

मैं/हम अधोदस्तावेधकर्ता एतद्वारा (प्रस्ताव महायोजना/
परिक्षेत्रीय विकास योजना में भू-उपयोग) से भूखण्ड/गाटा के (प्रस्तावित
भू-उपयोग परिवर्तन) के रूप में उपयोग परिवर्तन के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं, जिसके साथ दिने
पत्रे विवरण निम्नवत् हैं:-

(क) राजस्व धाम/तहसील और जिले का नाम.....

(ख) भूमि का विवरण -

क्र.सं.	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टर)
1		
2		
3		
4		
5		
	कुल क्षेत्रफल	

(ग) 1:4000 स्केल पर सजरा मैप, जिसमें भू-उपयोग परिवर्तन के लिए प्रस्तावित गाटा संख्या प्रदर्शित
हो या 1:1000 स्केल पर स्थल नक्शा जिसमें भू-उपयोग परिवर्तन के लिए प्रस्तावित भूमि प्रदर्शित
हो, जो भी लागू हो (सजरा मैप/स्थल नक्शा की प्रति संलग्न करें)

(घ) मूल नक्शा, जिसमें प्रस्तावित महायोजना/परिक्षेत्रीय विकास योजना को अनुसार प्रस्तावित स्थल की
अवस्थिति और विद्यमान भू-उपयोग प्रदर्शित हो (प्रति संलग्न करें)

(ङ) डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक..... को (बैंक का
नाम) पर रुपये..... (रुपये..... मात्र) आवेदन शुल्क के
रूप में आहरित।

(रुपये 1000/- हेक्टर या उसके भाग के लिए न्यूनतम रुपये 1000/- के अधीन रहते हुए)

(च) विक्रय विलेख की छायाप्रति (संलग्न करें)।

(छ) कोई अन्य विवरण जिसे आवेदक प्रस्तुत करना चाहता हो।

2 मैं/हम एतद्वारा लागू नियमों के अनुसार प्राधिकरण को भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का भुगतान
करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ/करते हैं।

संलग्नक-

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

.....

.....

हस्ताक्षर एवं दिनांक

(सदा कान्त)

प्रमुख राधिव